रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1991/भाद्र 7, 1913
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1991/BHADRA 7, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1991

सं. सी.डब्ल्यू.सी./24-22/सी.पी.एफ./स्थापना (भर्ती)—वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भंडारण निगम एतद्द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1 (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम पहली जून 1989 से लागू हुए माने जाएंगे।

2 केन्द्रीय भंडारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 (जिसे बाद में कथित विनियम कहा गया है) के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8 अंशदान की दर:—

अंशदाता समय-समय पर स्वयं द्वारा निर्धारित दर पर अपने वेतन से निधि में मासिक अंशदान देगा (जो 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा) यह अंशदान अंशदाता के मासिक वेतन से निगम द्वारा काटा जाएगा तथा राशि की गणना निकटतम रुपये में की जाएगी। निगम का अंशदान विनियम 10 के अनुसार निश्चित रहेगा।

उपरोक्त सीमाओं के अन्दर अंशदाता प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से अंशदान की दर में परिवर्तन कर सकता है।

एक बार निर्धारित दर में वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

3 कथित विनियमों के विनियम 10 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अन्यथा प्रावधान की स्थिति को छोड़कर निगम प्रत्येक मास नियोक्ता-अंशदान के रूप में अंशदाता द्वारा दी गई राशि के बराबर निधि में अंशदान देगा.

बशर्ते निगम द्वारा किये गए अंशदान की राशि अंशदाता के एक मास के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह भी प्रावधान होगा कि निगम उस अंशदाता के संबंध में ऐसा अंशदान देने के बारे में उत्तरदायी नहीं होगा जिसे विनियम 7 के परन्तुक के अधीन अंशदान देने की अनुमति दी गई है।"

4. स्पष्टीकरण ज्ञापन—कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अधीन अंशदान की दर 8⅓ प्रतिशत से बढ़ाकर पहली जून, 1989 से 10 प्रतिशत कर दी गई है। इस अनुरूपता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम 1962 के अधीन अंशदान की दर 1-6-89 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः यह आवश्यक हो गया कि इस विनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किये जाने से उन सभी कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनपर इन विनियमों को लाग किया गया है।

बी. बी. पटनायक, कार्मिक प्रबन्धक

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम एस.ओ संख्या 1014 दिनांक 30 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-3(ii) दिनांक 7-4-62 में अधिसूचित किए गए थे। बाद में इन विनियमों में संशोधन किए गए थे जो निम्नलिखित है :—

(1) एस.ओ. संख्या 1694 दिनांक 17-6-1963 दिनांक 22-6-1963 के राजपत्र में प्रकाशित।

(2) एस.ओ. संख्या 3563 दिनांक 17-12-1963, दिनांक 21-12-1963 के राजपत्र में प्रकाशित।

(3) एस.ओ. संख्या 4258 दिनांक 8-12-1964, दिनांक 12-12-1964 के राजपत्र में प्रकाशित।

(4) एस.ओ. संख्या 3382 दिनांक 18-9-1967, दिनांक 23-9-1967 के राजपत्र में प्रकाशित।

(5) एस.ओ. संख्या 3666 दिनांक 11-10-1968, दिनांक 19-10-1968 के राजपत्र में प्रकाशित।

(6) एस.ओ. संख्या 1801 दिनांक 20-3-1971, दिनांक 1-5-1971 के राजपत्र में प्रकाशित।

(7) एस.ओ. संख्या 787 दिनांक 6-2-1976, दिनांक 21-2-1976 के राजपत्र में प्रकाशित।

(8) एस.ओ. संख्या 983 दिनांक 5-3-1979, दिनांक 17-3-1979 के राजपत्र में प्रकाशित।

(9) एस.ओ. संख्या 197 दिनांक 7-1-1982, दिनांक 23-1-1982 के राजपत्र में प्रकाशित।

(10) संख्या 2 दिनांक 2 मई, 1985 दिनांक 18-5-1985 के राजपत्र में प्रकाशित (भाग-III खण्ड-4)।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 1991

No. CWC/XXIV-22/CPF/Rectt.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation Employee's Provident Fund Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 1991.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1989.

2. In the Central Warehousing Corporation Employees Provident Fund Regulations, 1962 (hereinafter referred to as the said regulations), for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:—

"8. Rate of subscription :—

The subscriber shall subscribe monthly to the Fund at such rate of his pay (not being less than 10 per cent) as may be fixed by him from time to time. Such subscription shall be deducted by the Corporation from the pay payable to the subscriber every month in amounts calculated to the nearest rupee. The Corporation's contribution shall remain fixed as provided by regulation 10.

Within the above limits, the subscriber can change the rate of sub cription with effect from 1st April of each year.

The rate once fixed shall remain unaltered throughout the year."

3. In the said regulations, in regulation 10, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Save as otherwise provided the Corporation shall contribute to the Fund every month as employer's contribution an amount equal to the amount subscribed by each of the subscribers :

Provided that the amount contributed by the Corporation shall not exceed 10 per cent of the pay earned by a subscriber during a particular month :

Provided further that the Corporation shall not be liable to make any such contribution in respect of a subscriber who has been permitted to subscribe to the Fund under the proviso to regulation 7".

4. Explanatory Memorandum.—The rate of subscription and contribution under the Employees Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952 has been increased from 8⅓% to 10% w.e.f. 1st June, 1989. On the same analogy, it has been decided to increase the rate of subscription and contribution under the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962 from 1-6-89. Therefore, it has become necessary to give retrospective effect to this regulation. It is certified that by giving effect to this regulation retrospectively, it shall not prejudicially effect the interest of any person to whom these regulations are applicable.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

FOOTNOTE : The original —